



586/1

दृश्यांक - 2286709
2286710

नव घोटा कंपनी 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ५८८० / ०५ / ७६ / पुफ / २०१५-१६

दिनांक २२ मार्च 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूड़ा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक वाहन्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

गहोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एवोडील०एफ०सी० बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	19.950
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०गिरग कानपुर	गो० जूही परमपुरवा में शांची देवी से सेराज अहगढ होते हुये राजू पाल, पुत्तन हाजी गली, राम शतन यादव रो आजाद हसन, भूशी देवी से श्याम लाल, युलग शीचालय (सोनू) के घर से आगे तक मेनरोड से मुड़दू तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	19.950
	योग				19.950

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत शी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रामापा होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

1- उपरोक्त रास्ता के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी दोगों की अल्पसंख्यक वाहन्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत शी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रामापा होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेक्स्ट न कर लिया जायें।

3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षग स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जायें तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जायें।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्ण में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की विधि में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत थाई कोई स्थीकृत/अनापूर्त अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जायें।

6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जायें।



586/2

नंबर 2286703
2286710

नव चालन केन्द्र 10 अशोक पार्क, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हसतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुदायेत रखे रखाव में कोई वादा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्तों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। एवं स्लीकूट परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रस्तुत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नमत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथागतिम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य पिधिक प्रतिवर्त्तों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्लीकूट की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिप्टिटि में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगामन के सापेक्ष द्वितीय किशा की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगम्य सेनेट जीवनी की धनराशि एवं द्वितीय किशा में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य समादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कदम करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अदमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, रूड़ा।।।
3. अशो अभियन्ता-सूडा।।।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W